लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

मैनुअल–7

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना।

Manual-7

The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof

7.1 नीति निर्धारण हेतु :–

लोक निर्माण विभाग में जिला योजना के अन्तर्गत मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के परामर्श/भागीदारी का प्राविधान है। मार्गों के समरेखन–निर्धारण के सम्बन्ध में यद्यपि कोई नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों के परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये कोई औपचारिक व्यवस्था या आदेश तो नहीं है, परन्तु मार्गों के समरेखन– निर्धारण के दौरान स्थानीय जनता अथवा सम्बन्धित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से उनके सुझावों पर विचार अवश्य किया जाता है।

क0 सं0	**विषय/ कृत्य का नाम**	**क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है**	**जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था**
1	2	3	4
1	**जिला योजना के कार्य**	जनप्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य है	जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मार्गों/सेतुओं के प्रस्तावों के चयन आदि के सम्बन्ध में जिला स्तरीय सड़क एवं परिवहन समन्वय समिति गठित है।
2	**मार्गों का समरेखन निर्धारण**	हॉ	मार्गों के निर्माण से पूर्व उपयोगिता, कम लागत, न्ययूनतम् क्षति एवं अधिकतम आबादी के लाभ को दृष्टिगत रखते हुये तकनीकी रूप से मार्गों के समरेखन निर्धारण के दौरान स्थानीय जनता से सम्पर्क स्थापित कर उनके सुझावों व समस्याओं पर विचार किया जाता है व आवश्यकता पड़ने पर स्थल पर उनके साथ संयुक्त निरीक्षण भी किया जाता है।

7.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु :–

क0सं0	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था
1	2	3	4
1	**जिला योजना के कार्य**	जनप्रतिनिधियों की भागीदारी अनिवार्य है	प्रत्येक वर्ष जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मार्गों एवं 15 मी0 स्पान तक के सेतुओं के निर्माण के प्रस्तावों के चयन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय सड़क एवं परिवहन समन्वय समिति की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी भाग लेते है। जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्यों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त लो0नि0वि0 के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (नोडल अधिकारी) द्वारा वर्ष के लिये निर्धारित/स्वीकृत परिव्यय के आधार पर संहत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मण्डल के आयुक्त को प्रेषित किया जाता हे।
2	**मार्गों का समरेखन निर्धारण**	हॉ	मार्गों के समरेखन निर्धारण के दौरान स्थानीय जनता का मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर उनके सुझावों एवं समस्याओं पर सम्यक विचार करते हुये राजस्व विभाग एवं वनविभाग के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित समरेखन का निरीक्षण करते हुये समरेखन निर्धारण की कार्यवाही की जाती है तथा आवश्यक्ता पड़ने पर स्थल पर उनके साथ संयुक्त निरीक्षण भी किया जाता है। समरेखन विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तथा राजस्व विभाग एवं वनविभाग से भी विचार विमर्श किया जाता है।